भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 3445

उत्तर देने की तारीख : 20.03.2025

असम में एमएसएमई इकाइयां

3445. श्री फणी भूषण चौधरी:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2016 से देश में पंजीकृत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) इकाइयों की संख्या राज्य और वर्षवार कितनी है;

(ख) असम में वर्तमान में संचालित एमएसएमई इकाइयों की संख्या कितनी है;

(ग) वर्ष 2016-17 से वर्ष 2024-25 तक असम में बैंकों द्वारा एमएसएमई इकाइयों को स्वीकृत ऋणों का बैंकवार ब्यौरा क्या है;

(घ) असम में सरकार द्वारा सहायता प्राप्त एमएसएमई इकाइयों का जिलावार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने एमएसएमई आत्मनिर्भर भारत कोष के तहत 50,000 करोड़ रुपए की इक्विटी का संचार किया है और यदि हां, तो असम के मुख्य संदर्भ में इसका राज्वार विवरण कितना है; और

(च) असम के विशेष संदर्भ में एमएसएमई के लिए इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (ईसीएलजीएस) की स्थिति और प्रगति क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) और (ख) : दिनांक 01.07.2020 को उद्यम पंजीकरण पोर्टल को शुरू किया गया था। दिनांक 15.03.2025 तक, देश और असम राज्य में उद्यम पंजीकरण (यूआर) पोर्टल और उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत एमएसएमई की कुल संख्या क्रमशः 6.13 करोड़ और 10.82 लाख थी। राज्य-वार और वर्ष-वार विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(ग) : वित्त वर्ष 2017 से असम राज्य में एमएसएमई को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) द्वारा संवितरित ऋण का विवरण **अनुबंध-II** में दिया गया है।

(घ) : प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत, वर्ष 2021-22, वर्ष 2022-23 और वर्ष 2023-24 के दौरान, असम राज्य में सहायता प्राप्त इकाइयों की संख्या क्रमशः 3,855, 2,596 और 2,417 थी। जिला-वार विवरण **अनुबंध-III** में संलग्न हैं।

(ङ) : भारत सरकार ने आत्म-निर्भर भारत (एसआरआई) निधि के नाम से निधियों की निधि की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य उन एमएसएमई में इक्विटी वित्तपोषण के रूप में 50,000 करोड़ रुपए समावेशित करना है, जिनमें विकसित होने और बड़ी इकाई बनने की क्षमता और संभावना है। उन्हें 50,000 करोड़ रुपए के कुल फंड में से 10,000 करोड़ रुपए भारत सरकार से और 40,000 करोड़ रुपए प्राइवेट इक्विटी/वेंचर कैपिटल फंड के माध्यम से उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है। इस पहल का उद्देश्य एमएसएमई क्षेत्र की योग्य और पात्र इकाइयों को विकास पूंजी उपलब्ध कराना है। यह केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसके तहत राज्य सरकार को फंड जारी नहीं किया जाता है।

एनएसआईसी वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड (एनवीसीएफएल) की रिपोर्ट के अनुसार, दिनांक 28.02.2025 तक, कुल 60 डॉटर फंड को एनवीसीएफएल (मदर फंड) के साथ सूचीबद्ध किया गया है और 10,979 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के माध्यम से 577 संभावित एमएसएमई को सहायता प्रदान की गई है। राज्य-वार विवरण **अनुबंध-IV** में दिया गया है।

(च) : मई, 2020 में आकस्मिक क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) को आत्म-निर्भर भारत अभियान के भाग के रूप में शुरू किया गया था, ताकि पात्र एमएसएमई और व्यावसायिक उद्यमों को कोविड-19 महामारी के कारण होने वाले व्यवधान के मद्देनजर उनकी परिचालन देनदारियों को पूरा करने में सहायता मिल सके। यह योजना दिनांक 31.03.2023 तक लागू थी। ईसीएलजीएस के लाभार्थियों का विवरण निम्नानुसार है।

राज्य	**जारी की गई गारंटियों की कुल संख्या**	**कुल गारंटीकृत राशि (करोड़ रु. में)**
असम	544,917	3,052.27
अखिल भारत	11,375,919	242,768.69

*****

अनुबंध-I

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3445, जिसका उत्तर दिनांक 20.03.2025 को दिया जाना है, के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

दिनांक 01.07.2020 से 15.03.2025 तक उद्यम पंजीकरण और उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म* के अंतर्गत पंजीकृत कुल राज्य-वार उद्यम						
क्र.सं.	राज्य का नाम	**01/07/2020 से 31/03/2021**	**वित्त वर्ष 2021-22**	**वित्त वर्ष 2022-23**	**वित्त वर्ष 2023-24**	**वित्त वर्ष 2024-25 (01/04/2024 - 15/03/2025)**
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	1,794	2,911	3,846	5,398	4,195
2	आंध्र प्रदेश	64,744	146,408	244,253	1,315,893	1,369,552
3	अरुणाचल प्रदेश	724	2,256	6,950	11,027	14,034
4	असम	**17,178**	**72,295**	**133,434**	**403,404**	**455,689**
5	बिहार	89,607	220,092	321,999	1,632,193	1,091,175
6	चंडीगढ़	5,751	9,515	10,100	22,414	16,587
7	छत्तीसगढ़	32,817	68,410	108,174	474,722	379,663
8	दिल्ली	89,376	134,552	178,735	419,247	303,102
9	गोवा	6,001	8,579	15,448	46,142	30,719
10	गुजरात	244,350	395,147	519,909	1,389,298	947,212
11	हरियाणा	102,788	179,405	236,685	518,539	521,086
12	हिमाचल प्रदेश	12,729	26,770	47,037	88,252	97,300
13	जम्मू और कश्मीर	26,323	74,151	103,601	292,195	214,853
14	झारखंड	42,802	82,665	141,811	614,095	364,222
15	कर्नाटक	151,323	313,286	421,479	1,537,846	1,673,239
16	केरल	71,390	117,190	179,791	622,569	489,688
17	लद्दाख	728	2,291	3,200	7,184	4,060
18	लक्षद्वीप	39	207	332	395	1,115
19	मध्य प्रदेश	111,082	244,747	842,831	1,372,227	1,337,234
20	महाराष्ट्र	642,351	967,499	1,210,797	2,731,222	2,472,775
21	मणिपुर	10,325	13,652	21,121	46,940	44,153
22	मेघालय	697	2,226	6,671	15,792	19,736
23	मिजोरम	1,113	3,533	7,841	16,459	13,810
24	नागालैंड	712	3,316	7,293	25,899	17,652
25	ओडिशा	49,164	105,577	171,315	1,043,615	565,445
26	पुडुचेरी	3,832	8,171	11,494	35,698	30,297
27	पंजाब	100,871	182,869	269,854	594,653	559,154
28	राजस्थान	234,233	391,154	516,868	1,133,157	1,208,274
29	सिक्किम	346	1,779	3,150	8,085	12,722
30	तमिलनाडु	310,261	538,622	728,467	1,771,979	1,615,220
31	तेलंगाना	97,019	160,641	230,268	1,022,717	860,603
32	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	3,034	4,141	5,065	9,501	7,202
33	त्रिपुरा	1,675	6,702	16,580	168,615	66,077
34	उत्तर प्रदेश	217,266	413,221	1,469,903	2,519,835	1,925,371
35	उत्तराखंड	22,506	49,489	72,885	210,161	148,821
36	पश्चिम बंगाल	62,795	169,360	277,965	2,766,160	1,062,284
कुल :-		2,829,746	5,122,829	8,547,152	24,893,528	19,944,321

* उद्यम सहायता पोर्टल 11.01.2023 को लॉन्च किया गया

अनुबंध-II

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3445, जिसका उत्तर दिनांक 20.03.2025 को दिया जाना है, के भाग (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

असम राज्य में एमएसएमई को एससीबी द्वारा संवितरण ऋण		
		(राशि करोड़ रुपए में)
क्र.सं.	**वित्त वर्ष**	**संवितरित राशि**
1	मार्च-24	19,437.90
2	मार्च-23	14,483.37
3	मार्च-22	8,127.84
4	मार्च-21	12,943.83
5	मार्च-20	13,443.11
6	मार्च-19	13,926.73
7	मार्च-18	10,571.60
8	मार्च-17	7,339.13

स्रोत : अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) द्वारा प्रस्तुत प्राथमिकता क्षेत्र रिटर्न

अनुबंध-III

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3445, **जिसका उत्तर दिनांक** 20.03.2025 **को दिया जाना है, के उत्तर के भाग (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध**

सहायता प्राप्त इकाइयों की संख्या के संबंध में असम में पीएमईजीपी का जिला-वार विवरण

क्र.सं.	जिला	सहायता प्राप्त इकाइयों की संख्या		
		2021-22	2022-23	2023-24
1	बजाली	0	6	49
2	बक्सा	109	34	67
3	बारपेटा	409	319	205
4	बिश्वनाथ	45	36	17
5	बोंगईगांव	79	43	54
6	कछार	176	102	107
7	चराइदेव	31	10	5
8	चिरांग	42	36	31
9	दरांग	107	52	60
10	धेमाजी	146	96	73
11	धुबड़ी	274	112	94
12	डिब्रूगढ़	161	145	136
13	दीमा हसाओ	38	36	28
14	गोलपाड़ा	74	26	30
15	गोलाघाट	113	34	51
16	हैलाकांडी	159	89	145
17	होजाई	76	73	46
18	जोरहाट	90	54	50
19	कामरूप	137	217	143
20	कामरूप महानगर	150	122	146
21	कार्बी आंगलोंग	82	47	43
22	करीमगंज	132	52	44
23	कोकराझाड़	137	89	77
24	लखीमपुर	114	82	90
25	माजुली	31	27	15
26	मरीगांव	59	39	32
27	नगांव	161	131	136
28	नलबाड़ी	129	62	53
29	शिवसागर	158	115	84
30	सोनितपुर	95	93	113
31	दक्षिण सलमारा - मनकाचर	23	29	14
32	तिनसुकिया	214	144	158
33	उदलगुडी	104	42	19
34	पश्चिम कार्बी आंगलोंग	0	2	2
कुल		3,855	2,596	2,417

अनुबंध-IV

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3445, जिसका उत्तर दिनांक 20.03.2025 को दिया जाना है, के उत्तर के भाग (ङ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

क्र.सं.	आत्मनिर्भर भारत (एसआरआई) निधि योजना की स्थापना से लेकर अब तक दिनांक 28.02.2025 तक का राज्य-वार विवरण	
	राज्य का नाम	**निवेशित कंपनियों की संख्या**
1	आंध्र प्रदेश	3
2	**असम**	**1**
3	बिहार	2
4	चंडीगढ़	3
5	छत्तीसगढ़	1
6	दिल्ली	69
7	दादरा और नगर हवेली	1
8	गोवा	2
9	गुजरात	23
10	हरियाणा	49
11	हिमाचल प्रदेश	1
12	झारखंड	1
13	केरल	7
14	कर्नाटक	151
15	मध्य प्रदेश	7
16	महाराष्ट्र	144
17	ओडिशा	9
18	पुडुचेरी	2
19	पंजाब	2
20	राजस्थान	7
21	तमिलनाडु	27
22	त्रिपुरा	1
23	तेलंगाना	39
24	उत्तराखंड	5
25	उत्तर प्रदेश	15
26	पश्चिम बंगाल	5
	कुल	**577**